का०ज्ञ०सं० 13035/3/91-रा०भा० (ग), दिनांक 23.4.1991

विषय: केंद्रीय हिंदी समिति की सिफारिश-हिंदी के पदों को भरने के संबंध में।

सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान 12 अक्तूबर, 1989 को आयोजित केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक के कार्यवृत्त के पैरा संख्या 3.6 में की गई सिफारिश, जो नीचे उद्दृत है, की ओर दिलाने का निदेश हुआ है:

"सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को निर्देश दिए जाएं कि वे हिंदी पदों को भरने से संबंधित पैनल को यथाशीघ्र क्रियान्वित करें तथा वित्त मंत्रालय भी हिंदी पदों के बारे में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाए।"

2. यहां यह उल्लेखनीय है कि मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से संबंधित पद केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अन्तर्गत आते हैं और इन्हें भरने की कार्रवाई राजभाषा विभाग द्वारा ही की जाती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इन पदों को भरने के लिए तैयार किए गए पैनल तुरन्त क्रियान्वित किए जाएं। लेकिन अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी से संबंधित पद उपर्युक्त सेवा के अन्तर्गत नहीं आते हैं; इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे पदों को भरने के निमित्त तैयार किए गए पैनलों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग की पूरी निगरानी रहे और वे यथाशीघ्र क्रियान्वित किए जाएं।

3. अत: यह अनुरोध है कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए सृजित राजभाषा हिंदी के पदों को भरने के लिए समय-समय पर तैयार किए गए पैनलों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के निमित्त कार्रवाई सुनिश्चित करें और की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें ताकि केंद्रीय हिंदी समिति की अगली बैठक में समिति को इस बारे में सूचना दी जा सके।